



संयुक्त बीमा ( जाइंट लाइफ ) पॉलिसी के तहत नामांकन का फॉर्म

(फॉर्म नंबर 3237-ए)

हम \_\_\_\_\_

बीमित व्यक्ति पॉलिसी के तहत, बी मा अ धि नि य म , 1938 के धारा 39 के तहत हमारे

\_\_\_\_\_ (रिश्ते) नाम \_\_\_\_\_ उम्र \_\_\_\_\_ वर्ष को नामांकित करते हैं और

उनका पता है: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

वह व्यक्ति हैं जिसे पॉलिसी के तहत सुरक्षित पैसे का भुगतान पॉलिसी के तहत परिपक्व की तारीख से पहले किसी भी समय, हम दोनों की एक साथ या एक के बाद एक मौत होने पर किया जाएगा।

\_\_\_\_\_ मे दिनांकित \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ का \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ .

साक्ष्य का हस्ताक्षर का : 1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

( बीमा धारकों के हस्ताक्षर )

पूरा नाम : \_\_\_\_\_ प्रमाणित किया जाता है कि नामांकन की विषय-वस्तु

पदनाम : \_\_\_\_\_ की विषय-वस्तु मैंने बीमित व्यक्ति/व्यक्तियों को उनकी स्थानीय

भाषा में समझा दी है , और उन्होंने मेरी है, और उन्होंने मेरी

पता : \_\_\_\_\_ उपस्थिति में, इसे भली-भांति समझने के बाद, इस पर अपने हस्ताक्षर/अंगूठे के

निशान अंकित किए हैं। “

\_\_\_\_\_ ( सा क्ष्य के हस्ताक्षर )

( Seal )

## निर्देश

- (1) नामांकन केवल उस पॉलिसी धारक द्वारा किया जा सकता है जिसने अपनी स्वयं की जिंदगी पर, अर्थात्, केवल 'बीमित व्यक्ति' (**Lives Assured**) द्वारा पॉलिसी ली हो।
- (2) नामांकन फॉर्म में जहाँ भी ज़रूरी हो, खाली जगह भरने के बाद, बीमित व्यक्तियों को इसे पॉलिसी के पीछे उतार लेना चाहिए, यदि किसी एक या दोनों बीमित व्यक्तियों के हस्ताक्षर हिन्दी (नीचे 3 देखें) में नहीं हैं तो साक्ष्य का प्रमाण-पत्र भी उतार लेना चाहिए।
- (3) व्यक्तियों को किसी साक्ष्य की मौजूदगी में ही पृष्ठांकन पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। यदि बीमित व्यक्तियों में से कोई एक या दोनों हिन्दी नहीं जानते हैं, तो उन्हें हिन्दी जानने वाले किसी साक्ष्य के सामने पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करने चाहिए; और यदि वे निरक्षर हैं, तो उन्हें किसी मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के सामने पृष्ठांकन पर अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा। कोई अधिकारी या विकास अधिकारी (**Development Officer**) जिसके पास कम से कम 3 साल का अनुभव हो, या कोई स्थायी विकास अधिकारी (जो ऐसे अभिकर्ता में से भर्ती हुआ हो जो शामिल होने से पहले मंडल प्रबन्धक या शाखा प्रबन्धक क्लब के सदस्य थे), या ऐसे अभिकर्ता में से भर्ती हुआ विकास अधिकारी जो शामिल होने से पहले क्षेत्रीय क्लब या चेयरमैन क्लब के सदस्य थे—बशर्ते कि वह पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) की पहचान के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हो। ऐसे मामलों में, गवाह को पृष्ठांकन में दिए गए प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिए।
- (4) जैसे ही किसी पृष्ठांकन के माध्यम से कोई नामांकन किया जाता है, पॉलिसी को तुरंत निगम के सेवा शाखा में नामांकन के पंजीकरण के लिए भेजा जाना चाहिए। कोई भी नामांकन तब तक प्रभावी नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसकी सूचना निगम को न दे दी जाए और वह निगम द्वारा रजिस्टर्ड न कर लिया जाए।
- (5) यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग है, तो यह सलाह दी जाती है कि बीमा अधिनियम में बताए गए तरीके से एक 'नियुक्त व्यक्ति' (**Appointee**) को नियुक्त किया जाए। यह नियुक्त व्यक्ति, नामांकित व्यक्ति के नाबालिग रहते हुए, यदि बीमित व्यक्तियों आदि की एक साथ मृत्यु हो जाती है, तो पॉलिसी से मिलने वाली राशि प्राप्त करेगा। नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति का फॉर्म, निर्देशों सहित, निगम (**Corporation**) से आवेदन करने पर प्राप्त किया जा सकता है।

( टिप्पणी : यदि इस शर्तों और निबंधनों और विशेष प्रवधानों / शर्तों के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो अंग्रेजी पाठ विधिमान्य होगा )